महत्वपूर्ण/ई-मेल के माध्यम से

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक-कम्प्यूटर- 139 / लखनऊ दिनांक 02 जून ~~मई~~, २०१५

समस्त जनपदीय एवं क्षेत्रीय अधिकारी,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

आप सभी अवगत है कि कृषि विभाग की योजनाओं के आन लाइन अनुश्रवण एवं वित्तीय प्रबन्धन के लिए पारदर्शी किसान सेवा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में यह योजना मा० मुख्यमंत्री जी के विकास एजेण्डे में शामिल है। जिसकी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को सीधे भेजी जायेगी। प्रमुख सचिव (कृषि) महोदय द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में बैठकों तथा विडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा इस योजना के महत्व को बताया गया तथा यह अपेक्षा की गयी है कि दिनांक ०१ अप्रैल, २०१५ से किसानों का आन लाइन पंजीकरण करते हुए पारदर्शी तरीके से लाभ वितरण किया जाय।

१- कृषि विभाग की सभी योजनाओं में लाभ वितरण हेतु आनलाइन पारदर्शी लभार्थी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-८११/१२-३-२०१४-१००(६१)/२०१२ दिनांक २३.०७.२०१४ का अवश्य पालन किया जाय।

२- किसानों का अधिक से अधिक आन लाइन पंजीकरण कराया जाय। प्रत्येक किसान का पंजीकरण एक ही बार होना है, इसलिए उसे प्रथम बार लाभ वितरण से पूर्व आन लाइन भरे गये वितरण का सत्यापन उसके पहचान पत्र, खतौनी तथा बैंक खाते के विवरण से अवश्य कर लिया जाय।

३- पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेब साइट upagriculture.com पर लाभ हेतु चयन किये गये तथा लाभ प्राप्त करने वाले कृषकों को दिये गये लाभ का विवरण, लाभ वितरण के तत्काल पश्चात अवश्य दर्शाया जाय।

४- कृषि विभाग की योजनाओं में भौतिक प्रगति का विवरण पारदर्शी किसान सेवा योजना की वेबसाइट से ही प्राप्त कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया जायेगा, इसलिए वेबसाइट पर योजना की प्रगति सदैव अद्यतन रखें।

५- किसी भी किसान को यह कहकर वापस न किया जाय कि उसका पंजीकरण नहीं हुआ है इसलिए उसे लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसे पंजीकृत करके यदि वह पात्रता में आता है, तो उसे नियमानुसार पारदर्शी तरीके से लाभ वितरित किया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देश/शासनादेश का पालन करते हुए कृषि विभाग की योजनाओं में आन लाइन पारदर्शी लाभार्थी चयन एवं लाभ वितरण प्रक्रिया को अपनाया जाय तथा

—— 2.

- प्रदेश सरकार के विकास एजेण्डे में शामिल इस महत्वाकांक्षी योजना की प्रगति निर्धारित रूप पत्र पर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को तथा प्रति कृषि निदेशालय को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

01.6.15

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-कम्प्यूटर- / लखनऊ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१- समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे अपने मण्डल में योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

२- समस्त मण्डलीय उप कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण), कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश कृपया अपने स्तर पर भी योजना का अनुश्रवण करें।

३- समस्त योजनाधिकारी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि वे अपने नियन्त्राधीन संचालित योजनाओं में पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत आन लाइन पंजीकरण एवं लाभ वितरण सुनिश्चित करायें।

४- प्रमुख सचिव (कृषि), उत्तर प्रदेश, शासन, सचिवालय, लखनऊ।

/

(आदेश कुमार बिश्नोई)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।